"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 421] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 29 अगस्त 2020

अधिसूचना

कमांक एफ 10–64/2009/29–1(2).— राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का सं.20) की धारा 40 की उप–धारा (1) एवं उप–धारा (2) के खण्ड (क) सहपठित छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की धारा 30 की उप–धारा (1) एवं उप–धारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 40 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 2 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (ग) में, अंक "2004" के स्थान पर, अंक "2016" प्रतिस्थापित किया जाये।

2. नियम 3 में, उप–नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

   "(1) राशनकार्ड, अंत्योदय, प्राथमिकता श्रेणी एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना तथा सामान्य परिवार के ही होंगे।"

3. नियम 3 में, उप–नियम (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

   "(ग) अधिनियम की धारा (2) की उप–धारा (1) के खण्ड (ड) में वर्गीकृत सामान्य परिवार।"

4. नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

   "4. राशनकार्ड हेतु व्यक्तियों या परिवारों का अपवर्जन– राज्य शासन, समय–समय पर अधिसूचना द्वारा, इस नियम के अंतर्गत अपवर्जित व्यक्तियों या परिवारों की श्रेणियॉ बना सकेगा और ऐसे व्यक्ति एवं उनके परिवार के सदस्य, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अपवर्जित हो जायेंगे।"

5. नियम 5 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात:–

   "5–क. सामान्य परिवार के राशन कार्ड हेतु, संचालक, खाद्य द्वारा अनुमोदित प्रारूप में आवेदन सहित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे,–

(1) राज्य के निवासी होने के सत्यापन तथा आवासीय पते की त्रुटि रहित पुष्टि के लिए परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति।

(2) आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संचालक, खाद्य द्वारा अनुमोदित आधार नामांकन पावती की छायाप्रति एवं कोई फोटो परिचय पत्र की छायाप्रति।

(3) परिवार के मुखिया एवं अन्य सदस्यों के पासपोर्ट साईज की फोटो।

सामान्य परिवारों को राशनकार्ड जारी करने हेतु आवेदन की प्रस्तुति, सत्यापन एवं प्रक्रिया नियम 8, नियम 9, नियम 10, नियम 11 एवं नियम 13 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे। सामान्य परिवारों के लिये राशनकार्ड का सत्यापन, नियम 14 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।''

6. नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''7. प्रचलित राशनकार्डों का बना रहना.– इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व जारी समस्त वैध राशनकार्ड तब तक प्रभावी रहेंगे, जब तक कि इन नियमों के अधीन उन्हें निरस्त नहीं कर दिया जाये। प्रचलित राशन कार्ड का नवीनीकरण, ऐसे आदेश, जो कि राज्य शासन, समय–समय पर, जारी करे, के अनुसार किया जायेगा।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 29 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 10–64/2009/29–1(2).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29–8–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 29th August 2020

NOTIFICATION

No.F 10-64/2009/29-1(2).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of Section 40 of the National Food Security Act, 2013 (No. 20 of 2013) read with sub-section (1) and clause (b) and (c) of sub-section (2) of Section 30 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No.5 of 2013) the State Government, hereby, makes the following amendment of the Chhattisgarh Ration card Rule, 2016, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 40 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 2, in sub-rule (1), in clause (c), for the figure "2004", the figure "2016" shall be substituted.

2. In rule 3, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

" Ration card shall be of Antyodaya, Priority and Mukhya Mantri Khadyanna Sahayata Yojana and General Household families."

3. In rule 3, in sub-rule (2), after clause (b), the following shall be added, namely:-

"(c) General Households, classified in clause (m) of sub-section (1) of Section 2 of the Act."

4. For rule 4, the following shall be substituted, namely:-

"4. Exclusion of persons or households for ration card.- The State Government may, from time to time by notification, create categories of excluded persons or families under this rule and such person and their family members shall stand excluded from the date of publication of such notification."

5. After rule 5, the following shall be added, namely:-

"5-A. For ration card of General Households, alongwith the application in the Proforma approved by the Director, Food, the following documents shall be attached,-

(1) For verification of state domicile and error free confirmation of residential address, photocopy of Aadhaar card of head of the family and other members.

(2) In case where Aadhaar card is not available, photocopy of Aadhaar Enrollment acknowledgement slip and photocopy of any photo identity card approved by the Director, Food.

(3) Passport size photograph of Head of the household and other members.

Submission of application, verification and process for issue of ration card of General Household families shall be according to provisions specified in rule 8, rule 9, rule 10, rule 11 and rule 13. Verification of ration cards for General Household families shall be according to the provisions of rule 14.

6. For rule 7, the following shall be substituted, namely:-

"7. Continuance of the existing ration cards.- All valid ration cards issued before the commencement of these rules and in existence shall remain in force till they are cancelled under this rules. Renewal of existing ration cards shall be according to orders which the State Government may issue, from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.